

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- महाराजगंजचेकिंग के दौरान अवैध असलहा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.10.2022 को उ०नि० सुबाषचन्द्र दूबे मय हमराह द्वारा अभियुक्त विक्रम सिंह उर्फ गोरव सिंह उर्फ लादेन पुत्र संजय सिंह निवासी मल्लेपट्टी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ, प्राथमिक पाठशाला तिराहा उसुरकुढ़वा से समय करीब 07.50 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 404/2022 धारा 3/25 A. ACT पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 404/2022 धारा 3/25 A. ACT थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1.	47/19	147/148/149/323/506 भादवि	महाराजगंज	आजमगढ़
2.	26/20	323/325/427/504/506 भादवि व 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(va) sc/st act	महाराजगंज	आजमगढ़
3.	184/20	323/427/504/506 भादवि	महाराजगंज	आजमगढ़
4.	156/21	354/363/506 भादवि	महाराजगंज	आजमगढ़
5.	184/21	272/273 भादवि व 60 EX act	महाराजगंज	आजमगढ़
6.	295/21	308/323/452/506 भादवि	महाराजगंज	आजमगढ़
7.	404/22	3/25 आर्म्स एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

विक्रम सिंह उर्फ गोरव सिंह उर्फ लादेन पुत्र संजय सिंह निवासी मल्लेपट्टी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष बरामदगी-

एक अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० सुबाषचन्द्र दूबे थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।
- 2-का० रामशरन थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।
- 3-का० रविकान्त थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।
- 4-का० आदित्य कुमार थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

थाना- फूलपुरदुष्कर्म का वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना:- दिनांक 25.08.2022 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी थी कि थाना फूलपुर निवासी अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर शारिरीक सम्बन्ध बनाना तथा अपने दोस्त के साथ मिलकर मारना पीटना तथा गाली देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 277/22 धारा 376/323/504/506/324 भादवि पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध संजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी।

2. गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 31.10.2022 को नि०अप० संजय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्त अभिषेक शर्मा पुत्री जियालाल शर्मा साकिन रामपुर खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को बस स्टाफ फूलपुर से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

3.पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 277/22 धारा 376/323/504/506/324 भादवि

4. गिरफ्तार अभियुक्त-

अभिषेक शर्मा पुत्री जियालाल शर्मा साकिन रामपुर खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

5. गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.नि०अप० संजय कुमार सिंह,थाना फूलपुर, आजमगढ़।
2. का० दुर्गेश कुमार सिंह, थाना फूलपुर, आजमगढ़।

थाना- निजामाबाद
हत्या के नामजद 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना:- दिनांक 21.10.2022 को वादी रुदल यादव पुत्र दासू यादव निवासी अल्लापुर तोवां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा उसके भतीजे राहुल यादव पुत्र गंगा यादव निवासी अल्लाहपुर तोवा थाना निजामाबाद आजमगढ़ को विपक्षी सूबेदार पुत्र वासुदेव यादव, हीरालाल पुत्र कल्पनाथ यादव, मनोज यादव पुत्र सुधाकर यादव व अन्य अज्ञात द्वारा पुरानी जमीनी विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 447/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

2.गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 31.10.2022 को प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद प्र0नि0 दिनेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 1. हीरालाल यादव पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी अल्लापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 36 वर्ष और 2. सूबेदार यादव पुत्र बासूदेव यादव निवासी अल्लापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 52 वर्ष, को मोहनपुर से संजरपुर जाने वाली रोड पर मोहनपुर तिराहे से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

3.पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 447/22 धारा 302 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

4.गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1 हीरालाल यादव पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी अल्लापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 36 वर्ष
2. सूबेदार यादव पुत्र बासूदेव यादव निवासी अल्लापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 52 वर्ष

6.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार यादव थाना निजामाबाद आजमगढ़।
2. का0 सुमित कुमार थाना निजामाबाद आजमगढ़।
3. का0 राहुल सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़।
4. का0 कमलेश कुमार थाना निजामाबाद आजमगढ़।

थाना सरायमीर

दुकान में चोरी करने वाले अभियुक्त पकड़ाया

आज दिनांक 31.10.2022 को खुशीद अहमद S/O नवी अहमद ग्राम खण्डवारी थाना सरायमीर आजमगढ़ के हाता में स्थित दुकान पर चोर द्वारा दुकान का ताला तोड़कर दुकान व हाता से JCB का हाइड्रोलिक पम्प ,सेलेन्डर,बर्तन, कम्बल, सिलाई मशीन का स्टैण्ड आदि चुराकर ले जाते समय मो0 सलीम उर्फ सुलेशनबाज S/O इरशाद निवासी फरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को आस पास के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया जिसके पश्चात थाना स्थानीय पर सुपुर्द किया गया, बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 235/22 धारा 457/380/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 235/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मो0 सलीम S/O इरशाद निवासी फरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद हाइड्रोलिक पम्प लोहे का , एक अदद गैस सिलेण्डर छोटा खाली बिना कम्पनी का, दो अदद थाली, एक अदद गिलास, एक अदद तावा व एक अदद कम्बल इस्तेमाल किया हुआ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु भादवि थान सरायमीर जनपद आजमगढ़ 411/380/457 धारा 22/177 0सं0अ0
2. मुएनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 20/8 धारा 22/178 0सं0अ0
3. मुभादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 411/380 धारा 19/159 0सं0अ0
4. मुभादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 411/380 धारा 19/166 0सं0अ0
5. मुभादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 411/380 धारा 19/176 0सं0अ0

गिरफ्तारकर्ता:-

1. हे0मु0 बनवारी यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. खुशीद अहमद S/O नवी अहमद ग्राम खण्डवारी थाना सरायमीर आजमगढ़ (जनता का व्यक्ति)
3. मुन्शी यादव S/Oस्व0 ऊदील यादव सा0 फरिदुनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ (जनता का व्यक्ति)
4. राजेश यादव S/O मुन्शी यादव सा0 फरिदुनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ (जनता का व्यक्ति)
5. गुल्लू यादव S/O टिल्दू यादव सा0 फरिदुनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ (जनता का व्यक्ति)